ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 318-321

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

अनुसूचित जातियों में वैयक्तिक गतिशीलता

मनीष कुमार
एम.ए., पी–एच.डी., समाजशास्त्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत।

Received- 16.08.2020, Revised- 20.08.2020, Accepted - 23.08.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : ***वैयक्तिक गतिशीलता का तथ्य व्यावसायिक गतिशीलता, राजनीतिक सहभागिता, शैक्षिक गतिशीलता और सांस्कृतिक गतिशीलता जैसे अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। अपने पारम्परिक व्यवसाय को बदल देना, अशिक्षित से शिक्षित बनना, अपने पैतृक निवास स्थान को छोड़कर नये स्थान पर जाना, अपनी पारम्परिक जीवन–शैली को त्याग कर आधुनिक जीवनशैली को अपनाना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी शक्ति, पहचान और प्रस्थिति को बदलना आदि अनेक रूपों में वैयक्तिक गतिशीलता की परिघटना का प्रकटीकरण हुआ है। सिद्धान्ततः वैयक्तिक गतिशीलता का अवसर समस्त जातियों को समान रूप से प्राप्त हुआ, परन्तु निम्नतर जातियों पर पारम्परिक बंधनों और निर्योग्यताओं के कारण उनके लिये यह अवसर काफी सीमित था। पुनः चूंकि पारम्परिक बंधन और निर्योग्यताएं अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक थीं। अतः वैयक्तिक गतिशीलता का अवसर भी उनके लिए सबसे अधिक सीमित था, परन्तु 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही सुधार आन्दोलनों एवं बाद में स्वतंत्र भारत में जनतंत्रीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रभावों, सरकारी प्रयत्नों एवं संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम स्वरूप उनमें काफी कमी आयी है।***

कुंजीभूत शब्द– वैयक्तिक, गतिशीलता, व्यवसायिक, राजनीतिक सहभागिता, सांस्कृतिक गतिशीलता, पैतृक।

शोध में इसी मान्यता को आधार बनाकर यह जानने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जातियों में वैयक्तिक गतिशीलता किस सीमा तक विद्यमान है। शोध का शीर्षक "अनुसूचित जातियों में वैयक्तिक गतिशीलता– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (देवरिया जनपद के ग्रामीण अंचल की अनुसूचित जातियों के विशेष संदर्भ में)" है।

अध्ययन का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जातियों में वैयक्तिक गतिशीलता के तथ्य का यथार्थ चित्रण करना था। यथार्थ चित्रण करना मूल उद्देश्य होने के कारण अध्ययन का अभिकल्प वर्णनात्मक है। शोध के विशिष्ट लक्ष्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों का आधुनिक शिक्षा, आधुनिक व्यवसाय और राजनीतिक गतिविधियों में समावेशन और सहभागिता के तथ्यों के मापन सम्मिलित हैं।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदाता के रूप में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ही चुना गया है। अध्ययन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद था। अध्ययन का समग्र देवरिया जनपद के ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या से निर्मित है। प्रतिदर्श प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम देवरिया जिले के पांच तहसीलों में से देवरिया सदर का चयन दैवनिदर्शन विधि से किया गया। पुनः देवरिया सदर के आठ विकासखण्डों में से रामपुर कारखाना का चयन दैवनिदर्शन की ही विधि से किया गया। यह विकासखण्ड 53 ग्राम सभाओं में विभाजित था। इन ग्राम सभाओं में से बरियापुर ग्राम सभा में अनुसूचित जातियों का बाहुल्य होने के कारण उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पर आधारित होकर बरियारपुर ग्राम सभा को सूचनायें संकलित करने हेतु चयनित किया गया। चयनित ग्राम सभा में कुल परिवारों की संख्या 511 थी, परन्तु गणना की सुविधा के लिये मात्र 500 परिवारों का ही चयन किया गया। प्रतिदर्श में अनुसूचित जातियों के परिवारों से उनके मुखिया अथवा मुखिया के न मिलने से किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को सम्मिलित किया गया।

शोधकर्ता ने तथ्य संकलन हेतु विकल्पयुक्त साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया। इसका कारण यह था कि उत्तरदाताओं में मात्र साक्षर और कम शिक्षित व्यक्तियों का बाहुल्य था। ऐसे व्यक्तियों में स्वयं पढ़ने, समझने और लिखने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से संकलित तथ्यों को उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों द्वारा वर्गीकृत किया गया। पुनः उन्हें सारणीबद्ध कर आवृत्ति एवं प्रतिशत के आधार पर विश्लेषित किया गया।

शोध कार्य को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम के अन्तर्गत समस्या का कथन, अध्ययन के लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन की सीमायें, अध्ययन का अभिकल्प, अध्ययन का समग्र, प्रतिदर्श का चयन एवं उसका आकार, तथ्यों के स्रोत, तथ्य संकलन की प्रविधि, तथ्यों का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

विश्लेषण, अवधारणाओं की परिभाषा एवं सम्बंधित साहित्य का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में परम्परा, आधुनिकता और गतिशीलता के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय में प्रतिदर्श का विवरण प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय में संकलित तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जातियों में शैक्षिक गतिशीलता के तथ्य को मापा गया है। पंचम अध्याय में व्यवसायिक गतिशीलता के तथ्य का मापन किया गया है। षष्ठ अध्याय में अनुसूचित जातियों में राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण हुआ है। अन्तिम अध्याय सप्तम अध्याय शोध के निष्कर्षों की प्रस्तुति है।

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को आयु, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, गृय स्वरूप, भूमि एवं वाहन की उपलब्धता तथा व्यवसाय के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सभी उत्तरदाता 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु के थे। इनमें 41–50 वर्ष आयु समूह के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक थी।

उत्तरदाताओं के जातिगत विवरण में अध्ययन क्षेत्र में पायी जाने वाली छःअनुसूचित जातियाँ–चमार, दुसाध, खटिक, धोबी, मुसहर, खरवार थीं, जिनमें से 54 प्रतिशत उत्तरदाता चमार, 16 प्रतिशत दुसाध, 7 प्रतिशत खटिक, 9 प्रतिशत धोबी, 8 प्रतिशत मुसहर तथा 6 प्रतिशत खरवार जाति के उत्तरदाता सम्मिलित हैं। चमार जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक 54 प्रतिशत थी।

अध्ययन में सम्मिलित 82 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं तथा 18 प्रतिशत उत्तरदाता विधुर हैं। कोई भी उत्तरदाता अविवाहित नहीं था।

उत्तरदाताओं के शिक्षा के विवरण में 42 प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर हैं। 23 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त है। 19 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त किये हैं। 11 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टर तक शिक्षा ग्रहण किये हैं तथा 5 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक एवं स्नातक से उच्च शिक्षा ग्रहण किये हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर साक्षर एवं प्राथमिक शिक्षा ही है।

जाति के आधार पर शिक्षा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित चार जाति के कुल 220 उत्तरदाताओं में 89 (40.45 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर साक्षर, 40 (18.18 प्रतिशत) का प्राथमिक, 55 (25 प्रतिशत) का हाईस्कूल, 20 (9.10 प्रतिशत) का इण्टर एवं 16 (7.27 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर स्नातक एवं अन्य है। अध्ययन में सम्मिलित दुसाध जाति के कुल 130 उत्तरदाताओं में 56 (43.08 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर साक्षर, 30 (23.08 प्रतिशत) का प्राथमिक, 20 (15.39 प्रतिशत) का हाईस्कूल, 18 (13.84 प्रतिशत) का इण्टर एवं 6 (4.61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर स्नातक एवं अन्य है। अध्ययन में सम्मिलित खटिक जाति के कुल 55 उत्तरदाताओं में 20 (36.36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर साक्षर, 10 (18.18 प्रतिशत) का प्राथमिक, 10 (18.18 प्रतिशत) का हाईस्कूल, 12 (21.82 प्रतिशत) का इण्टर एवं 3 (5.64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर स्नातक एवं अन्य है। अध्ययन में सम्मिलित धोबी जाति के कुल 45 उत्तरदाताओं में 25 (55.56 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर साक्षर, 5 (33.33 प्रतिशत) का प्राथमिक, एवं 5 (11.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर हाईस्कूल है। अध्ययन में सम्मिलित मुसहर जाति के कुल 30 उत्तरदाताओं में 5 (16.16 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर साक्षर, 15 (50 प्रतिशत) का प्राथमिक, 5 (16.67 प्रतिशत) का हाईस्कूल, 5 (16.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर इण्टर है। अध्ययन में सम्मिलित खरवार जाति का स्तर साक्षर एवं 5 (25.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का शिक्षा का स्तर प्राथमिक है। अतः स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से क्रमशः चमार, दुसाध, खटिक जातियों में शिक्षा की स्थिति बेहतर है। भूमि की उपलब्धता के विवरण से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1–5 कट्ठा ही भूमि है। जाति के आधार पर भूमि की उपलब्धता का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित चमार जाति के कुल 220 उत्तरदाताओं में से 82 (37.27 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा, 78 (35.45 प्रतिशत) के पास 6 से 10 कट्ठा एवं 60 (27.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 10 कट्ठा से अधिक है। दुसाध जाति के कुल 130 उत्तरदाताओं में से 48 (36.92 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा, 42 (32.31 प्रतिशत) के पास 6 से 10 कट्ठा एवं 40 (30.77 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 10 कट्ठा से अधिक है। खटिक जाति के कुल 55 उत्तरदाताओं में से 25 (45.45 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा एवं 30 (54.55 प्रतिशत) के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 6 से 10 कट्ठा है। धोबी जाति के कुल 45 उत्तरदाताओं में से 35 (77.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा एवं 10 (22.22 प्रतिशत) के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

उपलब्धता 6 से 10 कट्ठा है। मुसहर जाति के कुल 30 उत्तरदाताओं में से 18 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा एवं 12 (40.00 प्रतिशत) के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 6 से 10 कट्ठा है। खरवार जाति के कुल 20 उत्तरदाताओं में से 12 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 1–5 कट्ठा एवं 8 (40.00 प्रतिशत) के पास निवास एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता 6 से 10 कट्ठा है। अतः स्पष्ट होता है कि सिर्फ चमार एवं दुसाध जाति के पास कृषि योग्य भूमि है, शेष के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाता तीन प्रकार के आवास–कच्चा, पक्का तथा अर्द्धपक्का गृहों में रहते हैं। इस आधार पर 25.00 प्रतिशत कच्चे, 59.00 प्रतिशत पक्के तथा 16.00 प्रतिशत अर्द्धपक्के मकान में रहते हैं, जिनमें 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 1–3 कमरे का मकान है, 16.00 प्रतिशत के पास 4–5 कमरे का मकान है तथा मात्र 4.00 प्रतिशत के पास 6 से अधिक कमरे के मकान हैं। उत्तरदाताओं के 54.00 प्रतिशत के पास वाहन है तथा 36.00 प्रतिशत के पास कोई वाहन नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के पास भूमि, आवास तथा वाहन की उपलब्धता का प्रतिशत उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार को दर्शाता है। उत्तरदाताओं के व्यवसाय के विवरण को चार श्रेणियों–परम्परागत कार्य या मजदूरी, कृषि, दुकानदारी एवं नौकरी में विभाजित किया गया है, जिसमें अधिकांश 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता परम्परागत कार्य या मजदूरी एवं 32.00 प्रतिशत कृषि कार्य करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश की आजीविका परम्परागत कार्य या मजदूरी एवं कृषि कार्य है। जाति के आधार पर व्यवसाय के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित चमार जाति के कुल 220 उत्तरदाताओं में 74 (30.91 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है, 70 (31.82 प्रतिशत) का कृषि, 35 (15.91 प्रतिशत) का दुकानदारी एवं 41 (17.36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय नौकरी है। अध्ययन में सम्मिलित दुसाध जाति के कुल 130 उत्तरदाताओं में 45 (34.61 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है, 48 (36.92 प्रतिशत) का कृषि, 17 (13.08 प्रतिशत) का दुकानदारी एवं 20 (9.09 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय नौकरी है। अध्ययन में सम्मिलित खटिक जाति के कुल 55 उत्तरदाताओं में 23 (41.18 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है, 18 (32.73 प्रतिशत) का कृषि, 12 (21.82 प्रतिशत) का दुकानदारी एवं 2 (3.64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय नौकरी है। अध्ययन में सम्मिलित धोबी जाति के कुल 45 उत्तरदाताओं में 30 (66.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है, 12 (26.67 प्रतिशत) का कृषि, 3 (6.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय दुकानदारी है। अध्ययन में सम्मिलित मुसहर जाति के कुल 30 उत्तरदाताओं में 18 (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है, 7 (23.33 प्रतिशत) का कृषि, 3 (10.00 प्रतिशत) का दुकानदारी एवं 2 (6.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय नौकरी है। अध्ययन में सम्मिलित खरवार जाति के कुल 20 उत्तरदाताओं में 15 (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय परम्परागत कार्य या मजदूरी है एवं 5 (25.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि है।

अतः स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से क्रमशः चमार, दुसाध, खटिक जाति में आधुनिक व्यवसायों में समावेशन का प्रतिशत बढ़ा है और क्रमशः मुसहर, धोबी और खरवार में यह प्रतिशत काफी कम या शून्य है।

अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय रू.2000 या इससे कम है, इससे यह संकेत मिलता है कि अधिकांश उत्तरदाता निम्न आय वर्ग में सम्मिलित है।

संकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अन्तरपीढ़ी अनुक्रम में क्रमशः निरक्षरता की दर घटी है और साक्षरता की दर बढ़ी है। उत्तरदाताओं के पितामह की पीढ़ी में निरक्षरता का प्रतिशत 60 था जबकि उनके पिता की पीढ़ी में निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत घटकर 24.00 हो गया। इतना ही नहीं उत्तरदाताओं, उनके पुत्रों और पौत्रों में निरक्षरता का प्रतिशत शून्य है। शैक्षिक गतिशीलता के विषय में ऐसा ही प्रमाण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी प्राप्त है।

जाति के आधार पर शिक्षा से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन क्षेत्र की चमार, दुसाध, खटिक, धोबी, मुसहर, खरवार जातियों में अन्तरपीढ़ी अनुक्रम में क्रमशः निरक्षरता की दर घटी है और साक्षरता की दर बढ़ी है। शैक्षिक गतिशीलता की दर क्रमशः चमार, दुसाध, खटिक जातियों में तुलनात्मक रूप से अधिक रही है परन्तु धोबी, मुसहर, खरवार में यह दर कम रही है।

संकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अन्तरपीढ़ी अनुक्रम में परम्परागत व्यवसाय एवं कृषि कार्य से आधुनिक व्यवसाय दुकानदारी या सरकारी नौकरी की ओर व्यवसायिक गतिशीलता की दर क्रमशः बढ़ी है और परम्परागत पेशों एवं कृषि कार्य को छोड़ने की

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

दर बढ़ी है। उत्तरदाताओं के पितामह की पीढ़ी में परम्परागत पेशा या मजदूरी एवं कृषि कार्य का प्रतिशत क्रमशः 48.00 एवं 32.00 था, जो उत्तरदाता के पुत्रों में घटकर क्रमशः 30. 00 एवं 29.00 प्रतिशत रह गया।

आधुनिक व्यवसाय दुकानदारी या नौकरी में जहाँ पितामह का प्रतिशत क्रमशः 14.00 एवं 6.00 था, जो बढ़कर उत्तरदाता में क्रमशः 15.00 प्रतिशत, 12.00 प्रतिशत एवं उनके पुत्रों में क्रमशः 28.00 प्रतिशत एवं 13.00 प्रतिशत हो गया जो अनुसूचित जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता को प्रमाणित करता है। तथ्य बताते हैं कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की सरकारी नौकरियों में चयन अधिकांश आरक्षित श्रेणी में हुआ है। जाति के आधार पर व्यवसायिक गतिशीलता के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अध्ययन क्षेत्र की चमार, दुसाध, खटिक, धोबी, मुसहर, खरवार जातियों में अन्तर पीढ़ी अनुक्रम में परम्परागत व्यवसाय एवं कृषि कार्य से आधुनिक व्यवसाय की ओर व्यावसायिक गतिशीलता की दर क्रमशः बढ़ी है। व्यवसायिक गतिशीलता की दर तुलनात्मक रूप से चमार, दुसाध, खटिक जातियों में अधिक रही किन्तु धोबी, मुसहर, खरवार में कम रही। उत्तरदाताओं के पौत्रों के व्यवसायिक गतिशीलता की दर को स्पष्ट रूप से नहीं मापा जा सका क्योंकि अधिकांश अल्प आयु के थे और अभी अध्ययनरत हैं।

संकलित तथ्यो के आधार पर राजनीतिक गतिशीलता के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अन्तरपीढ़ी अनुक्रम में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। उत्तरदाता के पितामह की पीढ़ी में राजनीतिक दल की सदस्यता मात्र 14.00 प्रतिशत थी जो उत्तरदाता एवं उनके पिता, पुत्र और पौत्रों में क्रमशः 37 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 55 प्रतिशत, 29 प्रतिशत है।

राजनीतिक गतिशीलता के विषय में ऐसा ही प्रमाण राजनीतिक पद हेतु चुनाव लड़ने, भविष्य में राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने, राजनीतिक दलों में रूचि रखने के बिन्दु पर भी प्राप्त है, जो राजनीतिक गतिशीलता के तथ्य को प्रमाणित करता है। बहुजन समाज पार्टी ने वैचारिक रूप से अध्ययन क्षेत्र की अनुसूचित जातियों को प्रभावित किया है। इस दल की सदस्यता इनमें सर्वाधिक है। उत्तरदाताओं के पौत्रों में राजनीतिक दलों की सदस्यता का प्रतिशत क्रमिक रूप से कम होने का कारण उनके अधिकांश अल्प आयु का होना है।

अन्ततः स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति अनुसूचित जातियों का रूझान बढ़ा है। परम्परागत पेशों को त्याग कर आधुनिक व्यवसायों में समावेशन हुआ है। आर्थिक लाभ के कारण अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़ दिया है। अनुसूचित जाति के लोग परम्परागत पेशों को छोड़कर वह अब नौकरी एवं अन्य आधुनिक व्यवसायों में लग रहे हैं। उनका नौकरी में चयन आरक्षित श्रेणी में हुआ है। राजनीतिक सहभागिता का क्रमशः विकास हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने अनुसूचित जातियों में अपना स्थान बनाया है। पितामह, पिता, स्वयं उत्तरदाता, पुत्र एवं पौत्र के सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति, शैक्षिक, व्यवसायिक, राजनैतिक स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो अनुसूचित जातियों में वैयक्तिक गतिशीलता को परिलक्षित करते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लिमेबल, एस. (2004): 'टूआर्ड एन एसथेटिकस आफ दलित लिटरेचरः हिस्ट्री कन्ट्रोवर्सी एंड कंसीडरेशन्स', ओरियन्ट लौंगमैन, नई दिल्ली।
2. विद्यार्थी, एल.पी. (1997): 'हरिजन टूडे' सोशियोलॉजिकल, इकोनोमिक, पॉलिटिकल, रिलेशन एंड कल्चर एनालाइसिस', क्लासिकल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. सिंह, एस. (1987): शिड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडियाः डायमेंशन्स ऑफ सोशल चेंज', ज्ञान पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
4. सिंह, सोरन (1976): 'आक्यूपेशनल मोबिलिटी अमंग शिड्यूल्ड कास्ट्स', इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, पृ.267.
5. सिंह, योगेन्द्र (1977): 'सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एण्ड चेंज इन इण्डिया', मनोहर, नई दिल्ली।

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*